कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

07394&233033 e-mail - deo.alirajpur@mpexcise.org

विज्ञप्ति

अलीराजपुर दिनांक 7-3-18

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का ई–टेण्डर के माध्यम से निष्पादन की व्यवस्था वर्ष 2018–19

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये राज्य शासन के आदेशानुसार यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2018–19 के लिये अर्थात् 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिये जिला अलीराजपुर की 03 देशी मदिरा तथा 05 विदेशी मदिरा दुकानों के कुल 03 एकल समूहों का निष्पादन म.प्र. राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 80 भोपाल गुरूवार, दिनांक 01 फरवरी 2018 में प्रकाशित दिशा–निर्देशों एवं आबकारी आयुक्त म.प्र. ग्वालियर के पत्र क्रमांक 7–ठेका/2018–19/419, दिनांक 01.02.2018, 170 दिनांक 15.02.2018 से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में नवीनीकरण/लॉटरी एवं प्रथम ई–टेण्डर द्वारा निष्पादन के अभाव में द्वितीय चरण ई–टेण्डर के माध्यम से निष्पादन कलेक्टर जिला अलीराजपुर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा कलेक्टोरेट अलीराजपुर में दिनांक 14 मार्च .2018, को प्रातः 11:00 बजे से किया जावेगा। आबकारी आयुक्त के पृ.क्रमांक 7–ठेका/आब./ठेका/2018–19/15 ग्वालियर दिनांक 21.02.2018 द्वारा समूह क्रमांक ALR/F-6 को निष्पादन की ई–टेण्डर की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाने तथा उक्त समूह को ई–टेण्डर की कार्यवाही से **(With Hold)** रखा गया था।

आबकारी आयुक्त म.प्र. मोतीमहल ग्वालियर के पत्र क्रमांक 7–ठेका/2018–19/464 कैम्प भोपाल दिनांक 07.03.2018 अनुसार **(With Hold)** पर रखी गई मदिरा दुकानों एवं समूहों को द्वितीय चरण में ई–टेण्डर के निष्पादन के कार्यवाही में शामिल किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। तद्नुसार नवीनीकरण/लॉटरी/प्रथम ई–टेण्डर के निष्पादन पश्चात् शेष रहे 02 एकल एवं (With Hold) पर रहा 01 समूह कुल 03 एकल समूहों की विज्ञप्ति का विवरण निम्नानुसार हैं –

क्र.	मदिरा दुकान/एकल समूह का नाम	मदिरा दुकान/एकल समूह का क्रमांक	मदिरा दुकान अथवा एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानो का नाम	लायसेंस का वर्गिकरण (ऑन/ऑफ)	मदिरा दुकान/एकल समूह का वर्ष 2018–19 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य	मदिरा दुकान/एकल समूह की वर्ष 2018–19 के लिए निर्धारित धरोहर राशि (कॉलम 6 का 5 प्रतिशत)	ई–टेण्डर ऑफर के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि (कॉलम 7 का 50 प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जोबट समूह	ALR/F-4	(1) विदेशी मदिरा दुकान जोबट	ऑफ	89213810	4460691	2230346
			(2) विदेशी मदिरा दुकान नानपुर	ऑफ	72298636	3614932	1807466
			(3) देशी मदिरा दुकान जोबट	ऑन	22181482	1109074	554537
			योग		**183693928**	9184697	**4592349**
2	उदयगढ़ समूह	ALR/F-5	(1) विदेशी मदिरा दुकान उदयगढ़	ऑफ	92092010	4604601	2302301
			(2) विदेशी मदिरा दुकान बोरी	ऑफ	19476362	973818	486909
			(3) देशी मदिरा दुकान उदयगढ़	ऑन	4282628	214131	107066
			योग		**115851000**	5792550	**2896276**

S/rj com/desk/theka 2018/vigyapti 123

Scanned by CamScanner

3	अलीराजपुर समूह	ALR/F-6	(1) विदेशी मदिरा दुकान अलीराजपुर	ऑफ	102270759	5113538	2556769
			(2) देशी मदिरा दुकान अलीराजपुर	ऑन	17276628	863831	431916
			योग		119547387	5977369	2988685

तद्नुसार द्वितीय चरण में ई–टेण्डर के माध्यम से मदिरा दुकानों/एकल समूहों के निष्पादन की तिथियां एवं कार्यक्रम निम्नानुसार हैं –

1.	ई–टेण्डर हेतु ऑन लाईन टेण्डर प्रपत्र डाउनलोड करने का समय एवं तिथियां	दिनांक 08 मार्च 2018 को प्रातः 11:00 बजे से 13 मार्च 2018 दोपहर 03:00 बजे तक।
2.	ऑन लाईन ई–टेण्डर ऑफर सबमिट करने का अंतिम समय एवं तिथि	दिनांक 13 मार्च 2018 को सायंकाल 05:30 बजे तक।
3	जिला समिति द्वारा ई–टेण्डर के निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 14 मार्च 2018 को प्रातः 11:00 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

वर्ष 2018–19 के लिये निष्पादित की जाने वाली देशी/विदेशी मदिरा दुकानों/एकल समूहों की सूची, उनका आरक्षित मूल्य, ई–टेण्डर ऑफर के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि आदि की जानकारी नियमों, विक्रय ज्ञापन, ड्यूटी की दर तथा देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानों की वर्तमान वित्तीय वर्ष के 09 माह की खपत तथा मदिरा दुकानों के अवस्थान संबंधी परिक्षेत्र आदि की जानकारी कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त से किसी भी दिन (अवकाश के दिन सहित) कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकेंगी।

ई–टेण्डर द्वितीय चरण के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों के संबंध में आवश्यक जानकारी जिलेवार ई–टेण्डर सुविधा प्रदाता मध्यप्रदेश राज्य इलोक्ट्रोनिक विकास निगम के पोर्टल **www.mpeproc.gov.in** पर भी अपलोड/घोषित की जावेगी। ई–टेण्डर की कार्यवाही में जो व्यक्ति/फर्म/कम्पनी भाग लेना चाहे इस संबंध में उल्लेखित वर्णित प्रक्रिया– शर्त एवं प्रतिबंधो के अंतर्गत ई–टेण्डर द्वारा मध्यप्रदेश राज्य इलोक्ट्रोनिक विकास निगम के पोर्टल **www.mpeproc.gov.in** पर ऑफर दे सकते हैं।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/आब./ठेका/2017–18/665 अलीराजपुर दिनांक 7-3-18

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिककर विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आबकारी आयुक्त म.प्र. मोतीमहल ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर आबकारी आयुक्त, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता इन्दौर संभाग इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
5. पुलिस अधीक्षक जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला अलीराजपुर की ओर सूचनार्थ।
7. सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी **(समस्त)** (म.प्र.) की ओर प्रचार–प्रसार हेतु सूचनार्थ।
8. जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला अलीराजपुर की ओर विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ।
9. प्रभारी अधिकारी जिला सूचना केन्द्र (NIC) अलीराजपुर की ओर विज्ञप्ति एवं विक्रय पत्र जिले की वेबसांईट में अपलोड करने हेतु।
10. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (अलीराजपुर/जोबट/भाभरा एवं सोण्डवा) की ओर कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किये जाने हेतु।
11. सहायक जिला आबकारी अधिकारी/मद्यभाण्डागार अधिकारी/आबकारी उपनिरीक्षक (समस्त) जिला अलीराजपुर की ओर विज्ञप्ति के प्रचार–प्रसार हेतु पालनार्थ।

6/rj com/desk/theka 2018/vigyapti 123

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर (म.प्र.)

Scanned by CamScanner